रजिस्ट्री सं० डी० 221 II (i) REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 1971/श्रावण 5, 1893

No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 1971/SRAVANA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1971.

G.S.R. 1105.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Government Savings Certificates Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Savings Certificates (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on 1st August, 1971.

2. In rule 7 of the Government Savings Certificates Rules, 1965, in clause (1), for the figures "25,000", "50,000" and "25,000" occurring against items (i), (ii) and (iii) respectively the figures "50,000", "1,00,000" and "50,000" shall respectively be substituted.

[No. F. 2(35)-NS/71(1).]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1971

सा० का० नि० 1105 :—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत प्रमाणपत्र नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सरकारी बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम, 1971 होगा :

(2) ये 1 अगस्त 1971 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सरकारी बचत प्रमाणपत्र नियम, 1965 के खण्ड (1) में, क्रमश: मद (i), (ii) और (iii) के सामने आने वाले '25,000', '50,000' और '25,000' अंकों के स्थान पर क्रमश: '50,000', '1,00,000' और '50,000' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

[नं० 2(35)—र० ब०/71(i)]

G.S.R. 1106.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st August, 1971.

2. In rule 5 of the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, for the figures "25,000" and "50,000" occurring against items (i)1 and (ii) respectively, the figures "50,000" and "1,00,000" shall respectively be substituted.

[No. F. 2(35)-NS/71(ii).]

सा० का० नि० 1106 :—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डाक घर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक घर बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम 1971 होगा ।

(2) ये 1 अगस्त, 1971 को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाक घर बचत प्रमाणपत्र नियम, 1960 के नियम 5 में क्रमश: मद (i) और (ii) के सामने आने वाले '25,000' और '50,000' अंकों के स्थान पर, क्रमश: '50,000' और '1,00,000' अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[नं० 2(35)—र० ब/71(ii)]

G.S.R. 1107.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Government Savings Certificates (Fixed Deposits) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government Savings Certificates (Fixed Deposits) (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st August, 1971.

2. After rule 14 of the Government Savings Certificates (Fixed Deposits) Rules, 1968, the following rule shall be inserted, namely :—

"15. *Discontinuance of Government Fixed Deposit.*—No Government Fixed Deposit shall be accepted after the close of business on the 31st July, 1971."

[No. F. 2(35)-NS/71(iii).]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

सा० का० नि० 1107:—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत प्रमाणपत्र (सावधि निक्षेप) नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सरकारी बचत प्रमाणपत्र (सावधि निक्षेप) (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये 1 अगस्त 1971 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सरकारी बचत प्रमाणपत्र (सावधि निक्षेप) नियम, 1968 के नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"15. सरकारी सावधि निक्षेपों का बन्द करना—31 जुलाई, 1971 को कारबार बन्द होने के पश्चात् कोई सरकारी सावधि निक्षेप प्रतिगृहीत नहीं किए जाएंगे ।"

[सं० फा० 2(35)—स० ब०/71 (iii)]

बी० मेथरीयान्,

संयुक्त सचिव (बजट)

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971